



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 आषाढ़, 1945 (श०)

संख्या - 380 राँची, सोमवार,

3 जुलाई, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

आदेश

26 मई, 2023

संख्या-8/आरोप-6/2021का.3049-श्री अमित कच्छप, तत्कालीन सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग), झारखण्ड, राँची के विरुद्ध कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग), झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1324 दिनांक-09.12.2021 द्वारा साक्ष्य सहित आरोप पत्र गठित कर इस विभाग को उपलब्ध कराया गया ।

2. उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-167 दिनांक-12.01.2022 द्वारा श्री कच्छप से आरोप के सम्बन्ध में बचाव-बयान की माँग की गई तथा विभागीय पत्रांक-2214 दिनांक-07.04.2022, पत्रांक-3537 दिनांक-08.06.2022 द्वारा स्मारित किया गया। श्री कच्छप को विभागीय पत्रांक-5768 दिनांक-14.09.2022 द्वारा अन्तिम रूप से स्मारित किया गया, परन्तु श्री कच्छप द्वारा आरोप के सम्बन्ध में कोई बचाव-बयान समर्पित नहीं किया गया ।

3. तत्पश्चात् विभागीय आदेश संख्या 7143 दिनांक-17.11.2022 द्वारा श्री कच्छप, तत्कालीन सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (सम्प्रति-प्रशाखा पदाधिकारी) के विरुद्ध आरोप-पत्र में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

4. उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-39 दिनांक-27.02.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री कच्छप के विरुद्ध आरोप-पत्र में गठित आरोप को प्रमाणित पाया गया।

5. श्री कच्छप के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप तथा संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई। सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री अमित कच्छप, प्रशाखा पदाधिकारी, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग), झारखण्ड, राँची के विरुद्ध प्रमाणित आरोप के लिए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 (iv) के अन्तर्गत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

6. वर्णित परिप्रेक्ष्य में श्री अमित कच्छप, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी सम्प्रति-प्रशाखा पदाधिकारी, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग), झारखण्ड, राँची के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 (iv) के अन्तर्गत "असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक" की शास्ति एतद् द्वारा अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

7. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

गुलाम सरवर,
सरकार के अवर सचिव।
